न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 164/2019

1. सत्यनारायण आयु 38 साल आ0 चतुर्भज जाति धाकड निवासी के0 पाटन तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. लोकेश आयु 30 साल आ0 चतुर्भज जाति धाकड निवासी के0 पाटन तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

1. चतुर्भुज आयु 80 साल आ0 श्री तेज्या उर्फ तेजमल जाति धाकड निवासी के0 पाटन तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वाद :— अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री जनकराज मीणा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री नन्दराज मीणा, एडवोकेट।

—: निर्णय :—

दिनांक —14.11.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 05.11.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
1. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की पुश्तैनी भूमि खाता संख्या 64 की ख.सं. 622 रकबा 2.83 है0, ख.सं. 627/2562/1 रकबा 0.07 है0, ख.सं. 627 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.98 है0 वाके ग्राम व माल के0 पाटन तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज. में विरिथत है।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

जिसके वादीगण खातेदार टिनेन्ट है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी (पैतृक) कृषि भूमि है जो वादीगण के पुरखो से चली आ रही है जिसमें वादीगण का जन्म से 1/3–1/3 हिस्सा निहीत है। जिसको प्राप्त करने का वादीगण को पुरा–पुरा अधिकार प्राप्त है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार बांहमी बंटवारा कर रखा है तथा मौके पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है और प्रतिवादी सं. 1 अपनी खातेदारी में दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द व रहन, बय करने पर आमादा है। जब वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को रहन, बय व अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करने से मना किया और वादीगण का हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज करवाने के लिये कहां तो प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को हिस्सा देने से मना कर दिया और धमकी दी की मेरे जीते जी तो तुम्हे वादग्रस्त भूमि में से कुछ भी नही दूंगा क्योकि वर्तमान में भूमि मेरे खाते में दर्ज है और जो भूमि बंटवारे में तुम्हे दे रखी है उसे भी लेकर रहुंगा। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के 1/3–1/3 हिस्से के अनुसार पृथक से बंटवारा करावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे।

2. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से दिनांक 06.11.2019 को राजीनामा पेश किया गया।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.11.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खसरा सं. 622 रकबा 2.83 है0 में से 1.42 है0 उत्तर दिशा की औंकार जी के सहारे–सहारे वाके ग्राम व माल के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी सं. 1 सत्यनारायण आ0 चतुर्भज जाति धाकड निवासी के0 पाटन

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 622 रकबा 2.83 है0 में से 1.41 है0 दक्षिण दिशा वाके ग्राम व माल के0पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी सं. 2 लोकेश आ0 चतुर्भज जाति धाकड निवासी के0 पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 627/2562/1 रकबा 0.07 है0 सम्पूर्ण, ख.सं. 627 रकबा 1.08 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी सं. 1 चतुर्भुज आ0 श्री तेज्या उर्फ तेजमल जाति धाकड निवासी के0 पाटन के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

14/11/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केश्वरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

सत्यनारायण V/S चर्तुभुज वगै0

वाद– अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :: 164/2019

वादी की ओर से श्री जनकराज मीणा, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री नन्दराज मीणा की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 14.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खसरा सं. 622 रकबा 2.83 है0 में से 1.42 है0 उत्तर दिशा की औंकार जी के सहारे–सहारे वाके ग्राम व माल के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी सं. 1 सत्यनारायण आ0 चतुर्भज जाति धाकड निवासी के0 पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 622 रकबा 2.83 है0 में से 1.41 है0 दक्षिण दिशा वाके ग्राम व माल के0पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी सं. 2 लोकेश आ0 चतुर्भज जाति धाकड निवासी के0 पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 627/2562/1 रकबा 0.07 है0 सम्पूर्ण, ख.सं. 627 रकबा 1.08 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी सं. 1 चतुर्भुज आ0 श्री तेज्या उर्फ तेजमल जाति धाकड निवासी के0 पाटन के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत ....ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व ारह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.11.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

14/11/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.12.10 12:06:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: